संख्या-68/2019/1022/26-3-2019-10(2)/2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 मार्च 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, छाउछ, लखीमपुर खीरी एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गोला, छाउछ, लखीमपुरखीरी के मरम्मत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2246/स0क0/विकास/छात्रावास-मरम्मत/2018-19 दिनांक-31.12.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, छाउछ, लखीमपुर खीरी के मरम्मत आगणन रू0-24.00 लाख एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गोला, छाउछ, लखीमपुरखीरी के मरम्मत आगणन रूपये-38.86 लाख सहित 11 अन्य मरम्मत कार्यों का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, छाउछ, लखीमपुर खीरी के मरम्मत आगणन रू0-24.00 लाख एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गोला, छाउछ, लखीमपुरखीरी के मरम्मत आगणन रूपया-38.86 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपया-62.86 लाख (रूपये-बासठ लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, छाउछ, लखीमपुरखीरी के मरम्मत आगणन रू0-24.00 लाख के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि रूपया-6.00 लाख एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गोला, छाउछ लखीमपुरखीरी के मरम्मत आगणन रूपया-38.86 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपया-11.99 लाख की प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0-17.99 लाख (रू0 सत्रह लाख निन्यानवे हजार मात्र) व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0), लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमोंका अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के आलोक में लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा।

(8)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात मरम्मत कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्ता कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद के निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018 दिनांक-30 मार्च 2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77 दिनांक-15 जून, 2018 एवं पत्र संख्या-14/2018/बी-2-898/दस-2018-10/77 दिनांक-23 जुलाई, 2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ0सं0-68/2019/1022(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल

आज्ञा से
सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।